

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

संख्या- ए0ई0-2/03/नि0वि0-1/वर्ग-1/पदक्रम सूची-2018/391

दिनांक 24.09.2018

कार्यालय आदेश

प्रभागीय लेखाकार संवर्ग की पदक्रम सूची के संकलन एवं संशोधन का कार्य प्रगति पर है जिसमें दिनांक 01.03.2018 तक की स्थिति यथा नियुक्ति, पदोन्नति, स्थायीकरण, एम0ए0सी0पी0, मूल वेतन, वेतन वृद्धि की तिथि इत्यादि विषयक सूचनाओं का समावेश किया जाना है। उत्तर प्रदेश प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों से यह अपेक्षा है कि वे अपनी सेवा सम्बन्धी विवरणों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 01.03.2017 की पदक्रम सूची में प्रदर्शित प्रविष्टियों की जांच कर लें तथा त्रुटियों को दिनांक 28.09.2018 तक निर्माण विविध-1 अनुभाग के संज्ञान में लाने का कष्ट करें जिससे यथावश्यक संशोधन किया जा सके।

प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका उनके तैनाती के खण्ड में उपलब्ध रहती है इसलिए उनकी दिनांक 01.03.2018 को वास्तविक मूल वेतन तथा वेतन वृद्धि की अगली तिथि का विवरण पदक्रम सूची के लिए उनकी सेवा पुस्तिकाओं से प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 01.03.2018 के मूल वेतन तथा वेतन वृद्धि की अगली तिथि का विवरण खण्ड के अधिशासी अभियंता के माध्यम से दिनांक 28.09.2018 तक निर्माण विविध-1 अनुभाग में फैक्स (0532-2622359) अथवा ई-मेल (agaeuttarpradesh2@cag.gov.in) के द्वारा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। कृपया उपरोक्त अपेक्षित सूचनाएँ/विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध करायें :-

- क- प्रभागीय लेखाधिकारी/लेखाकार का नाम :
ख- व्यक्तिगत संख्या :
ग- पदनाम :
घ- क्या वह स्थायी/अस्थायी हैं (स्थायी होने की तिथि) :
ङ- दिनांक 01.03.2018 को मूल वेतन :
च- वेतन वृद्धि की तिथि :

उप महालेखाकार/डी0ए0सी0सी0

संख्या- ए0ई0-2/03/नि0वि0-1/वर्ग-1/पदक्रम सूची-2018/2800-2803

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. खण्डीय लेखाकार संवर्ग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी।
3. लेखाधिकारी/आई0टी0सी0जी0, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. सूचना पट्ट।

व.रि.ष.ले.
24-09-18
वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि0वि0-1